योगेश कुमार त्यागी
एडवोकेट
यू०पी० 1213/2007
चै०नं० 86, तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद

3520

ACC Name: ARVIND GOEL ACC CODE: UP14000504
License Number: 15 Contact: +919818390870
Address: Chamber No-44, Tehsil Ghaziabad

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP19169422619200S
Certificate Issued Date	:	28-Dec-2020 01:29 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14000504/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14000504316030351337975
Purchased by	:	CENTER FOR WATER PEACE
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	CENTER FOR WATER PEACE
Second Party	:	CENTER FOR WATER PEACE
Stamp Duty Paid By	:	CENTER FOR WATER PEACE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

LOCKED BY
S.R.O. IInd
Ghaziabad

Please write or type below this line

LB 0012820815

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

दफ्तर सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

तहसील बार एसोसिएशन रजि. गाजियाबाद
C-No. 86
S.R. 19995

न्यास विलेख

यह सार्वजनिक पारमार्थिक न्यास विलेख दिनाकं 29/12/2020 को इनके मध्य निष्पादित किया गया :–

1-संजय कश्यप पुत्र स्वः नत्थू सिंह कश्यप आयु 46 वर्ष निवासी 4/9 लाल क्वार्टस गाजियाबाद

प्रथम पक्ष /न्यास लेखक

तथा

2-श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र युद्धवीर सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी 314,कस्बा रोड़ , पीपल के पेड़ के पास, बेगमाबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद

3-श्रीमति योगिता कश्यप पत्नि श्री संजय कश्यप आयु 43 वर्ष निवासी 4/9 लाल क्वार्टस गाजियाबाद

4-श्री अरूण शर्मा पुत्र स्वः रामानन्द शर्मा उम्र 45 वर्ष, निवासी 6/6 लाल क्वार्टस गाजियाबाद

5-डा. राज नारायण शुक्ला पुत्र स्वः विरेन्द्र कुमार शुक्ला उम्र 56 वर्ष निवासी के. एस एच –5 कवि नगर गाजियाबाद

6-श्री पंकज यादव पुत्र श्री गोपी चन्द यादव उम्र 49, निवासी II एफ–129, नहेरू नगर गाजियाबाद

आवेदन सं०: 202000739095350

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 3520 वर्ष: 2020

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200

श्री संजय कश्यप ,
पुत्र श्री स्व० नत्थू सिंह कश्यप
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 4/9 लाल क्वार्टर्स गाजियाबाद

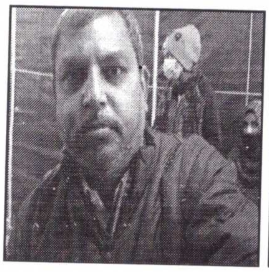

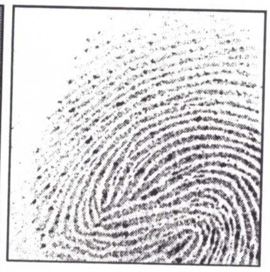

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 29/12/2020 एवं 12:27:12 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शर्मा नविनकुमार एस०
उप निबंधक :सदर द्वितीय
गाजियाबाद
29/12/2020

मंजूर अहमद -
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

दफ्तर सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

7-श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री श्री चन्द शर्मा उम्र 38 वर्ष , निवासी बी. 11 गली न. 2, बी ब्लॉक नत्थू बस्ती, नन्द नगरी, पूर्वी दिल्ली–110093

8-श्री सुदीप साहू पुत्र स्वः बिन्द्रा प्रसाद उम्र 55, निवासी एफ–1/27 सेक्टर 9,नई विजयनगर , गाजियाबाद

9.श्री श्याम कश्यप पुत्र श्री मोहन लाल उम्र 46 वर्ष, निवासी 43/12 अशोका रोड़ , शिप्रा सनसिटी , इन्दिरापुरम,201010

10. ड़ा. विवेक कुमार पुत्र श्री डी.एन. अग्रवाल उम्र 48 वर्ष, निवासी 32, नार्थ ऐवेन्यू आई.आई टी. दिल्ली हौजखास ।

11. श्री पीयूष गोयल पुत्र स्वः जगदीश प्रसाद गोयल उम्र 52 वर्ष, निवासी बी. 82 , लोहियानगर, गाजियाबाद उ.प्र.

12.श्री विनोद त्यागी पुत्र स्वः श्री प्रहलाद सिंह त्यागी उम्र 52 वर्ष निवासी ए–364 , नन्दग्राम, गाजियाबाद।

द्वितिय पक्षकार/न्यासीगण

और जबकि, न्यासियो ने न्याय लेखक के निवेदन पर इस बिलेख के अधीन पक्षकार बनकर न्यासी के रूप में कार्य करने की सहमति दी है और इस बिलेख को क्रियान्वित कर रहे है।

–और जबकि इस बिलेख के अधीन गठित किये जाने वाले सार्वजनिक पारमार्थिक न्यास के उद्देश्यो और शर्तो की घोषणा करना आवश्यक है।

–अब यह विलेख निम्न प्रकार साक्षी देता है कि–

एडवोकेट
यू.पी. 1213/2007

आवेदन सं०: **202000739095350**

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 3520 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: **1**

श्री संजय कश्यप, पुत्र श्री स्व० नत्थू सिंह कश्यप

निवासी: 4/9 लाल क्वार्टर्स गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: **2**

श्री जितेन्द्र कुमार, पुत्र श्री युद्धवीर सिंह

निवासी: 314 क़स्बा रोड पीपल के पेड़ के पास बेगमाबाद मोदीनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: **3**

श्रीमती योगिता कश्यप, पत्नी श्री संजय कश्यप

निवासी: 4/9 लाल क्वार्टर्स गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : **1**

श्री योगेश कुमार त्यागी , पुत्र श्री राजकुमार त्यागी

निवासी: 173 त्यागी मार्किट घूकना गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : **2**

श्री योगेश कुमार , पुत्र श्री मलखान

निवासी: ब्रह्मपुरी मोदीनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

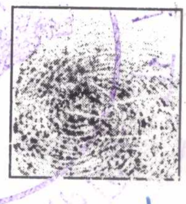

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

... कुमार एस०

उप निबंधक : सदर द्वितीय

गाजियाबाद

1– यह कि अपनी उक्त इच्छा पूर्ति के लिए न्यास लेखक ने न्यासियों को 10000/–रू की राशि प्रदान की है। जिसे न्यास निधि माना जायेगा। न्यासियों को उक्त राशि न्यास हेतु धारण करनी होगी व अपने कब्जे में रखनी होगीं, जो कि इसके पश्चात बताई गयी शक्तियों , प्रावधानो, करारनामों व घोषणाओं के अधीन होगीं ।

2–यह है कि न्यास का नाम 'सेन्टर फॉर वाटर पीस' (CENTER FOR WATER PEACE) होगा तथा इसका वर्तमान कार्यलय 4/9 लाल क्वार्टस, गाजियाबाद उ. प्र. में स्थित होगा, जिसे समय–समय पर न्यासियों द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय लेकर अन्य स्थान या स्थानों पर स्थापित किया जा सकेगा।

3– यह कि न्यास का कार्यक्षेत्र समस्त भारत होगा।

4.यह कि न्यास केनिम्नलिखित उद्देश्य रहेगें:–

4.1–प्रकृति, पर्यावरण के संरक्षण एवं संर्वधन हेतु जनशक्ति एवं सरकारो के सहयोग से निजि व सरकारी भूमि पर निजि अथवा सरकार द्वारा आयोजन में वृक्षारोपण, जल संरक्षण व उनका प्रबंधन।

4.2– प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन में लोक परम्पराओं को युगानुकुल पुर्नजीवित कर उन्हें संरक्षित करना व इसके लिए जन–जाग्रति हेतु प्रयत्न करना।

सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाज़ियाबाद
सत्यमेव जयते

4.3– वर्षा जल के संग्रहण व इसके भूमिगत निर्वंधन हेतु जन–जाग्रति, शोध कार्य, परियोजना निमार्ण, परियोजना निगरानी व परियोजना निष्पादन हेतु निजि अथवा सरकारी कार्यक्रम मे सहभाग करना अथवा आयोजन करना ।

4.4– पेयजल व कृषि कार्य हेतु जल संसाधन विकसित करना और उन पर शोध करना व उनका प्रबन्धन करना।

4.5–औद्योगिक एवं तकनीकि विकास के विभिन्न आयामों को पर्यावरणानुकूल ढालने हेतु निजि व सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग कर शोधकार्य करना, शोधशालाओ/अध्ययन केन्द्रों की स्थापना।

4.6– ग्रामीण तथा शहरी सभी क्षेत्रों मे नदियों, तालाबों व सभी प्रकार की जल संरचनाओपर सर्वेक्षण, शोधकार्य, जन–जाग्रति व उनका प्रावधान करना।

4.7– मृदा संरक्षण व संर्वधन हेतु निजि व सरकारी संस्थानों के सहयोग से शोधकार्य व परियोजना प्रबंधन करना।

4.8– जैविक कृषि के लिए जन–जाग्रति, शोधकार्य, परियोजना प्रबन्धन करना। जैविक उत्पादो को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादक–उपभोक्ता संवाद कराना।

4.9– जैव विविधता संर्वधन–संरक्षण हेतु निजी व सरकारी प्रयासो के साथ सहभाग/सहयोग के आधार पर शोधकार्य व निर्देशन किया जाना।

उप रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

4.10– सभी प्रकार पर्यावरण विरोधी कृत्यो को हतोत्साहित करने व अनुकूल कार्यो को उत्साहित करने के लिए जनमानस मे पर्यावरण मित्र/जलमित्र की भावना जगाना।

4.11– समय–समय पर पर्यावरण हित के विषयों पर भारत देश की न्यायप्रक्रिया के तहत न्यायालयों में वाद दायर करना तथा न्यास के विरूध दायर वादों का प्रतिवाद करना ।

4.12– पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रयोगशाला, पुस्तकालय स्थापना करना व प्रयोगशाला के निष्कर्षो को वैज्ञानिक –जनता संवाद के द्वारा प्रसारित करना।

4.13– पर्यावरण संरक्षण में साहित्य सृजन, भाषा सुगमता, सर्वेक्षण रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट, स्मारिका, पत्रक, पुस्तकें, पत्रिकाओ आदि का प्रकाशन करना , सूचनातंत्र स्थापित व विकसित करना। इनका प्रचार–प्रसार करना।

4.14– सभी शासकीय, अर्धशासकीय व गैरसरकारी संस्थाओं अथवा इनके प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण के कार्य में सामंजस्य बनाना व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग आदान–प्रदान करना।

4.15– पर्यावरण संरक्षण विषयों पर देश–विदेश में विभिन्न विषयों पर कार्यशाला, सेमिनार गोष्ठीयां, प्रतियोगिताऐं, मेलें, प्रर्दशनी , संस्कृतिक गतिविधियां व लोक कलाओं का आयोजन करना।

दफ्तर सब रजिस्ट्रार ... गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

4.16– केन्द्रीय, राज्य सरकारो के मंत्रालयों , स्थानीय निकायों, अर्धशासकीय विभागों, जिला पंचायतो, ग्राम पंचायतो, गैर सरकारी संगठनों वव्यक्तियों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहायता अथवा दान–अनुदान प्राप्त करना।

4.17– शासकीय , गैर शासकीय अथवा व्यक्तियों को अनुभव, शोध अथवा विशेषज्ञता के आधार पर परामर्श प्रदान करना।

6–न्यास की सदस्यताः–

6.1 संस्थापक न्यास पत्र को लेखाबद्ध करने वाला संजय कश्यप पुत्र नत्थू सिंह कश्यप एक मात्र न्यासी ही न्यास काआजीवन अध्यक्ष होगा इनके बाद इनका नामित प्रतिनिधि ही अध्यक्ष होगा।

6.2 आजीवन न्यासी सदस्य न्यास की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समर्पित व निष्ठावान न्यासी होगा।जिसका आजीवन सदस्यता का शुल्क 2100/– होगा। न्यास पत्र में वर्णित सभी न्यासी आजीवन सदस्य होगें। भविष्य में मृत्यु अथवा त्यागपत्र से रिक्त स्थान पर बहुमत तथा न्यास अध्यक्ष की लिखित अनुमति से रिक्त स्थान को भरा जायेगा।

6.3 न्यास के सहयोगी न्यासी भी होगें जिनकी सदस्यता वार्षिक शुल्क 1100रू होगी।वार्षिक शुल्क न अदा करने अथवा धारा 6.4 के अधीन कोई परिस्थिति होने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगीं।

वर्तमान में ट्रस्ट के नाम से कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है ।

सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद

6.4 सदस्यता समाप्ति किसी न्यासी की मृत्यु, त्यागपत्र देने , न्यास के उद्देश्यो के विरूद्ध कार्य करने , आपराधिक , विधि विरूद्ध कार्य करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित होने , लगातार एक वर्ष की बैठको में अनुपस्थित रहने , न्यासी मण्डल के 2/3 सदस्यो द्वारा परस्ताव पारित कर अध्यक्ष की लिखित अनुमति प्रदान करने पर हो जायेगी।

7– न्यास निधि मे प्रारंभिक निधि से होने वाली आय से तथा समय– समय पर प्राप्त होने वाली दानराशी , अनुदान राशी , अंशदान व चंदे में बढोतरी की जा सकती हैं।

8– न्यास निधि का उपयोग अनुच्छेद 03 में प्रदर्शित उद्देश्यों के अतिरिक्त केवल न्यास के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय मद मे ही किया जा सकेगा।

9– न्यासी हमेशा न्यास के आय–व्यय का समुचित लेखा बनाकर न्यास कार्यालय में ही रखेगें ।

10–न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यासियों को निम्न अधिकार प्राप्त होगें–

10.1– न्यास की स्थाई कार्य समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह के अन्तराल मे अथवा परिस्थितियों के अनुरूप होने पर कभी भी मुख्य न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के प्रतिनिधि की अध्यक्षता मे करेगें। न्यासी कार्यसमिति की बैठक वर्ष में एक बार होगी अथवा 24 घण्टे के नोटिस पर होगी। सूचना व एजेंड़ा डिजिटल रूप में भी मान्य होगी।

10.2– न्यास के निवेश, आय–व्यय आदि केवल न्यास के पूरे नाम से ही होगा।

दफ्तर सब रजिस्ट्रार द्वितीय

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

10.3– इस विलेख मे अन्यथा कहे जाने के बावजूद न्यासी की बैठकों में , न्यास के उद्देश्य , न्यासी की शक्तियों को लागू करने व क्रियान्वयन करने हेतु मुख्य न्यासी अथवा उनके द्वारा नामित न्यासी की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।

10.4– न्यास के प्रतिनिधि के रूप मे न्यास के उद्देश्य पूर्ति हेतु न्यास की चल–अचल सम्पत्ति को किराए पर लेना व देना।

10.5– न्यास का न्यासियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलना , खाते का परिचालन करना/ बैंक को निर्देश देना , एक से अधिक न्यासियों द्वारा खाता खोलना व परिचालन का प्रावधान करना।

10.6– न्यास निधि से संबंधी वाद , माँग व कार्यवाही का समायोजन, निपटान–सुलह अथवा पंचनिणर्य हेतु सौपना।

10.7–विधिक परामर्श अधिवक्ताओं/प्रतिनिधियों की नियुक्ति व उनको हटाकर दूसरे की नियुक्ति करना।

10.8– न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना,नियम बनाना, परिस्थिति होने पर संशोधन करना ।

10.9– न्यास से पदमुक्त होने की प्रार्थना करना ।

11– जब मुख्य न्यासी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि 2/3 न्यासीयों से प्रस्ताव पारित करा लिखित अनुमति प्रदान करेंगें तब ही न्यास व न्यास निधि खण्ड़नीय होगी।

दफ्तर सब रजिस्ट्रार

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

12—न्यास का लेखाकंन प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होगाा जिसका लेखा परीक्षक के द्वारा साल में एक बार परिक्षण होगा। लेखा परीक्षक समस्त आय—व्यय अर्थव्यवस्था का निरीक्षण त्रुटियों का परिमार्जन उचित मदों में खर्चा व व्यवस्था, दिशा निर्देश व समाधान प्रप़त्र कार्यकारणी को जारी करेगें।

13— न्यास के विवाद आपसी सहमति के आधार पर ही सुलह से निपटाये जायेगें हल न निकलने पर न्यास अध्यक्ष की अध्यक्षता मे समिति निमार्ण होगी। न्यास की समिति के बाहर विवाद के हल का कानूनी क्षेत्राधिकार गाजियाबाद होगा।

14— न्यास का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक में न्यास के पूरे नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा व उस खाते का परिचालन न्यास अध्यक्ष/न्यास लेखक, न्यास सचिव व न्यास कोषाध्यक्ष मिलकर करेगें। इन न्यासियों मे से किन्ही दो के हस्ताक्षर से खाता परिचालन के बैंक को निर्देशित करेगें।

15— न्यास पत्र में कुछ भी संसोधन न्यास के 2/3 न्यासी अध्यक्ष की लिखित अनुमति से करा सकेगें। यदि 2/3 बहुमत नहीं मिला तो न्यासी अध्यक्ष की लिखित अनुमति से संसोधन हो सकता है ।

16— न्यास में निम्न रजिस्ट्रर होगें:—

अ. न्यास सदस्यता

ब. कार्यवाही

स. आय—व्यय

द. पत्राचार

दफ्तर सब रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश

CWP

सब रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

17—न्यास के न्यासी जिसको स्थायी कार्यसमिति के रूप में न्यास संचालन हेतु निम्न उत्तरदायित्व सौंपा जाता है:—

1.अध्यक्ष—संजय कश्यप पुत्र स्वः नत्थू सिंह कश्यप, निवासी 4/9 लाल क्वार्टस गाजियाबाद

2. सचिव—श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र युद्धवीर सिंह.

निवासी 314,कस्बा रोड़ , पीपल के पेड़ के

पास, बेगमाबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद

3. कोषाध्यक्ष— श्रीमति योगिता कश्यप पत्नि श्री संजय कश्यप

निवासी 4/9 लाल क्वार्टस गाजियाबाद

4. ऑडिटर— श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री चन्द शर्मा , निवासी बी. 11 गली न. 2 बी ब्लॉक नत्थू बस्ती, नन्द नगरी, पूर्वी दिल्ली—110093

सब रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पक्षकारों ने इस न्यास विलेख पर दिनाकं 29/12/2020 को हस्ताक्षर किये ।

न्यास लेखक

हस्ताक्षर

नाम– संजय कश्यप

व्यवसाय – अधिवक्ता

न्यासीगण

हस्ताक्षर

नाम योगिता कश्यप

व्यवसाय ग्रहणी

हस्ताक्षर

नाम श्री जितेन्द्र कुमार

व्यवसाय अधिवक्ता

साक्षीगणः–

नाम योगेश कुमार त्यागी पुत्र श्री राजकुमार त्यागी

पताः–173 त्यागी मार्किट घूकना गाजियाबाद ।

नाम **योगेश कुमार पुत्र श्री मलखान**

पताः–**ब्रहमपुरी मोदीनगर गाजियाबाद**

स्थान गाजियाबाद

र त्यागी
एडवोकेट
121/200
सी०नं० 88, तहसील

आवेदन सं०: **202000739095350**

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 943 के पृष्ठ 383 से 414 तक
क्रमांक 3520 पर दिनाँक 29/12/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शर्मा नविनकुमार एस०
उप निबंधक : सदर द्वितीय
गाजियाबाद
29/12/2020

प्रिंट करें